

फर्ट अहकाम

(नियम 20)

(राजस्व)

मुकाम

अज अदालत

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम मेहर सिंह हल्का 117A

किस्म मुकदमा नाजायज काश्त धारा 22 उपनि सं. सन् 2019 अधिनियम 1954

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय	नम्बर व तारीख अहम की जो इस हुकम की तामिल में जारी किये
12.9.19	<p>रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर हल्का प्राप्त हुई है कि अप्रार्थी श्री <u>मेहर सिंह</u> पुत्र श्री <u>सुब्बा सिंह</u> जाति <u>खाली</u> साकिन <u>9 T.C</u> ने चक <u>9 T.C</u> के मु.नं. <u>33 (191/302)</u> कि.नं. <u>—</u> में कुल <u>0.025</u> हेक्टर/बीघा राजकीय भूमि पर सम्बत् <u>ख.सं 2076</u> में नाजायज काश्त की है अतः रिपोर्ट के आधार पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध नाजायज काश्त की पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे एवं अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो तथा गिरदावर हल्का का पत्रावली में आगामी निर्णय तक किसी उच्च अदालत का स्थगन आदेश न हो तो फसल अपनी तहवील में लेने बाबत आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक <u>23.9.19</u> को पेश हो। <u>३</u></p>	<p><u>सन्तोश्व सिंह</u> <u>लन्तोषा 1176</u> <u>मेहर सिंह</u></p>
23.9.19	<p>पत्रावली <u>पेश हुई</u> अप्रार्थी <u>मेहर सिंह</u> स्वयं उपस्थित आया। <u>पत्रावली</u> पेश किया कि यह स्वयं <u>इसका</u> काश्त की <u>इसका</u> से <u>करता</u> है। <u>इस पर</u> <u>हमारा</u> <u>काम</u> है <u>व</u> <u>काश्त</u> <u>करना</u> <u>करना</u> है। <u>कमाल</u> <u>है</u> <u>इस</u> <u>का</u> <u>से</u> <u>संबंध</u> <u>कोई</u> <u>कार्यवाही</u> <u>वा</u> <u>पर</u> <u>करनी</u> <u>चाहिये</u>। पत्रावली का <u>अवकाश</u> <u>पत्रा</u> <u>आया</u>। <u>इस</u> <u>रिपोर्ट</u> <u>पटवारी</u> <u>हल्का</u> <u>117A</u> <u>चक</u> <u>9 T.C</u> के</p>	<p><u>लन्तोषा 1176</u> <u>मेहर सिंह</u></p>

